

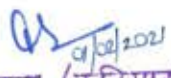
वैकल्पिक भूमि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

जनपद—सोनभद्र के अन्तर्गत प्रस्तावक विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा भदई अरार से मकरीवारी मार्ग, के चैनेज नं०—०.००० से ४०.१५० तक तहसील— राबर्टसगंज, जिला—सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण से प्रभावित होने वाली १८.०९ हे० वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य का किया जाना प्रस्तावित है। “नया रोड बनाने पर डायवर्जन आदि पर अधिक व्यय आयेगा तथा अधिक वृक्षों का कटान करना पड़ेगा, जिसके कारण पर्यावरण को नुकसान होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण से प्रभावित वन भूमि के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की माँग न्यूनतम है।

प्रभागीय वनाधिकारी

वन प्रभाग, सोनभद्र


रमेश चन्द्र (कटियार)
अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण वि०
सोनभद्र
अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लोक निर्माण विभाग सोनभद्र

वैकल्पिक भूमि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

जनपद—सोनभद्र के अन्तर्गत प्रस्तावक विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा भदई अरार से मकरीवारी मार्ग, के चैनेज नं०—40.150 से 46.050 तक तहसील—राबर्ट्सगंज, जिला—सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण से प्रभावित होने वाली 0.4293 हे० वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य का किया जाना प्रस्तावित है। "नया रोड बनाने पर डायवर्जन आदि पर अधिक व्यय आयेगा तथा अधिक वृक्षों का कटान करना पड़ेगा, जिसके कारण पर्यावरण को नुकसान होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण से प्रभावित वन भूमि के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की माँग न्यूनतम है।

प्रभागीय वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर


रमेश चन्द्र (कटियार)
रमेश चन्द्र (कटियार)
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण वि०
अधिसूची अभियंता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लोक निर्माण विभाग सोनभद्र